



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1205

मद/FOR ITEM: डांपर ईएन-001-01-2002
FOR ITEM: Damper EN-001-01-2002

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स लाक्स्ट्रोनिक्स इंस्ट्रुमेन्ट्स एण्ड कन्ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड, के-16, एमआईडीसी, अम्बाद, नासिक - 422 010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित “डांपर ईएन-001-01-2002” को मिग वायुयान में उपयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से टाइप टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/आईएनडी/72/180 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह पदार्थ परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न वर्ग रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेअमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “Damper EN-001-01-2002”, designed, developed & manufactured by M/s. Laxtronics Instruments & controls Pvt. Ltd, K-16, MIDC, Ambad, Nasik-422 010, is hereby approved for production for use in MiG aircraft. It has been tested as per type test schedule TS/IND/72/180, in co-ordination with RCMA (Nasik). The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

The provisional clearances issued to the product are superceded consequent to the issuance of this type approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India, and forwarding the test reports of all batches produced.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2010 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(नासिक), एचएएल(नासिक प्रभाग) ओझार टाउनशिप, ओझार 322 207 द्वारा सेमिलाक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Nasik), HAL (Nasik Division) Ojhar Township, 422 207 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1205

दिनांक/Date : 29. 05 . 2006

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

Kbwas
(कंचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Offg Chief Executive (Airworthiness)

17/5/06
17/05/06